TRAFFIC VIOLATIONS ON HOLI

Driving licences of 64 out of 140 drink driving violators suspended

EXPRESS NEWS SERVICE
CHANDIGARH, MARCH 5

THE DISTRICT court of Chandigarh on Monday suspended the driving licences of 64 people, who had been issued traffic violation slips for drink driving on Holi.

On March 2, the Chandigarh Traffic Police had issued traffic violation slips to 140 people for drink driving. However, among the 140, only 64 appeared in court to pay fine for violating traffic rules.

The court of Kushal Singla, Civil Judge, penalised 64 people, who appeared in court. Among the 64 offenders, nine were fined Rs 3,000 while the rest were fined Rs 2,000.

According to sources, senior Chandigarh Police officials reached the court on Monday morning with details of traffic violation during Holi. The Chandigarh Police officials then met the judicial officer of the district court and prayed for strict action against the violators. Following this, Chief Judicial Magistrate, Akshdeep Mahajan, also gave directions to naibs (court police staff) to be present near the challan counter to avoid any untoward incident or outbreak that might occur if any offender is awarded strict punishment. But later, the court imposed fines on the violators and their vehicles were ordered to be released later after their driving licences were seized and payment was received.

A huge rush of traffic violators was reported in the challaning branch of the court till 4 pm. A woman was also reported to have appeared on Monday for drink driving

Impounded vehicles of drink drive violators parked at Children Traffic Park in Sector 23, Chandigarh, on Monday. *Sahil Walia*

A huge rush of traffic violators was reported in the challaning branch of the court till 4 pm. Among the offenders, a woman was also reported to have appeared on Monday for drink driving.

Shashank Anand, SSP, Chandigarh Police, said the police department had prayed to the court for stringent punishment like imprisonment for the violators, especially professional drivers, who make a living by driving vehicles.

More people will appear in court for the violation and we hope the court will take strict action against the habitual offenders, said SSP Traffic.

In 2016, the district court of Chandigarh had sentenced 33 drink driving violators to one month imprisonment while one person was sentenced to six months' imprisonment for two violations a week.

According to police officials, in India, the permissible blood alcohol content (BAC) is set at 0.03 per cent per 100 ml blood which works out to 30 mg of alcohol per 100 ml of blood.

कैब चालकों पर सख्ती करने की तैयारी में ट्रैफिक पुलिस, लागू होगा नया नियम

ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर गूगल मैप देखा तो कटेगा चालान

कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़

चंडीगढ़ में ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन पर गूगल मैप देखने वाले कैब व प्राइवेट वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। अब से ट्रैफिक पुलिस ऐसे चालकों पर पैनी नजर रखेगी। इस बारे में ट्रैफिक पुलिस को हेल्पलाइन पर कई शिकायतें मिली हैं। लिहाजा सुरक्षा व शिकायतों को ध्यान में रखकर ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम उठाया है। ऐसा करने वाले का ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के अफेंस के तहत चालान काटेगी। नियम के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होता है। लेकिन, कैब चालकों का लाइसेंस सस्पेंड करने पर ट्रैफिक पुलिस बैठक में कोई फैसला लेगी।

चंडीगढ़ : ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर गूगल मैप देखता एक कैब ड्राइवर • जागरण

गूगल मैप के आधार पर कहीं भी कट मार लेते कैब चालक

ट्रैफिक पुलिस के पास जो शिकायतें आ रही हैं उनमें कैब चालकों की ड्राइविंग पर सवाल उठाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कैब चालक ड्राइविंग के समय मोबाइल पर गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं। उसी मैप के आधार पर वे ड्राइविंग भी करते हैं और कहीं भी कट मार देते हैं। इस कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

कैब से होने वाले हादसों का डाटा खंगाल रही ट्रैफिक पुलिस

ट्रैफिक पुलिस कैब चालकों द्वारा हुए सड़क हादसों का डाटा खंगाल रही है। इसको भी पुलिस नियम लागू करने के लिए आधार के तौर पर इस्तेमाल करेगी।

'मैप देखना गलत नहीं, लेकिन ड्राइविंग के समय न करें प्रयोग'

इस संबंध में एसएसपी ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी शशांक आनंद ने बताया कि मोबाइल पर गूगल मैप का इस्तेमाल गाड़ी को साइड में खड़ा कर भी किया जा सकता है। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं। लेकिन, ड्राइव करते समय गूगल मैप का इस्तेमाल गलत है। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी।

Dainik Jagran Dt:06-03-2018

शराब के नशे में धुत्त हो महिला से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार

कई दिनों से महिला को कर रहा था तंग

चंडीगढ़, 5 मार्च (सुशील राज): शराब के नशे में धुत होकर बड़हेरी में

एक युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी। महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सैक्टर-39 थाना पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान सैक्टर-41 निवासी 42 वर्षीय उमिंदरजीत सिंह के रूप में हुई। जांच में पता चला कि आरोपी कई दिनों से महिला को तंग करता था। सैक्टर-39 थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर उमिंदरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सोमवार पुलिस ने आरोपी को जिला अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बड़हेरी निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने बेटे के साथ रहती है। रविवार को सैक्टर-41 निवासी उमिंदरजीत सिंह शराब के नशे में धुत होकर उनके घर के बाहर आ गया। जब वह बाहर निकली तो उसने शारीरिक छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया। महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सैक्टर 39 थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छेड़छाड़ के आरोपी उमिंदरजीत सिंह को पकड़कर उसका सैक्टर-16 जनरल अस्पताल में मैडीकल करवाया। मैडीकल में शराब पीने की पुष्टि हुई।

कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला काबू

चंडीगढ़, 5 मार्च (संदीप): कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा को रास्ते में रोककर उससे छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सैक्टर-26 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बापूधाम कालोनी के रहने वाले टीटू के तौर पर हुई है जोकि प्राइवेट जॉब करता है। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को जिला अदालत में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार छात्रा रविवार रात को 8 बजे बाजार जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की। हंगामा होते देख लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। बापूधाम चौकी इंचार्ज नवीन कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पंजाब केसरी ई-पेपर Tue, 06 March 2018 epaper.punjabkesari.in//c/267785

आरोपी भाइयों के खिलाफ जिला अदालत में चालान दायर

चंडीगढ़, 5 मार्च (संदीप): पिछले साल दिसम्बर में शास्त्री नगर लाइट प्वाइंट पर पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोपी आई.टी. कंपनी के मालिक दोनों भाइयों साहिल (25) और सौमिल कोहली (22) के खिलाफ थाना पुलिस ने जिला अदालत में चालान दायर कर दिया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 323, 332, 353, 365, 506 और 34 के तहत चालान दायर किया है। मामले की अगली तारीख 8 मार्च है। इस दिन दोनों को चालान की कॉपी सौंपी जाएगी। दायर चालान में 17 गवाह बनाए गए हैं। इनमें दो आई विटनैस बिजेंद्र और बदाम सिंह भी हैं। इसके अलावा शिकायतकर्ता हैड कांस्टेबल शुभकर्मण को बनाया है। वहीं पुलिस ने दोनों की पुलिसकर्मियों से मारपीट की रिकार्डिंग को भी केस में सबूत बनाया है।

पंजाब केसरी ई-पेपर Tue, 06 epaper.p